माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली के समक्ष
कम्पनी याचिका संख्या– सी. ए. (सीएए) नं. 172(पीबी)/2018
कम्पनी अधिनियम, 2013 के मामले में और कम्पनी की धारा 230 से 232
एवं (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के
अन्य लागू होने वाले प्राविधानों के मामले के सम्बन्ध में
व्यवस्था/समामेलन की योजना के मामले के सम्बन्ध में

अग्रवाल मीडोव्स प्राईवेट लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी नं. 1/अंतरणकर्त्ता कम्पनी')

एवं

पैसालो डिजिटल लिमिटेड ('आवेदक कम्पनी नं. 2/हस्तांतरी कम्पनी')

एवं

उनके तत्सम्बन्धित अंशधारक एवं लेनदार

पैसालो डिज़िटल लिमिटेड
(पूर्व नाम– एस. ई. इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड)
सीआईएन: L65921DL1992PLC120483
कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अन्तर्गत निगमित एक
कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय– 101, सीएससी, पॉकेट 52,
सीआर पार्क, पुलिस स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110019

आवेदक कम्पनी नं. 2/हस्तांतरी कम्पनी

समता अंश धारकों एवं प्रतिभूत लेनदारों की बैठक हेतु सूचना एवं सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 12, अक्टूबर, 2018, के आदेश द्वारा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली ("एनसीएलटी") ने अग्रवाल मीडोव्स प्राईवेट लिमिटेड व पैसालो डिज़िटल लिमिटेड और उसके तत्सम्बन्धित अंशधारकों एवं प्रतिभूत लेनदारों के बीच व्यवस्था/समामेलन की योजना (योजना) पर विचार करने और यदि उचित पायी जाती है तो संशोधन (संशोधनों) के साथ/ उसके बगैर स्वीकृत करने के प्रयोजन हेतु पैसालो डिज़िटल लिमिटेड के समता अंशधारकों एवं प्रतिभूत लेनदारों की पृथक–पृथक बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में और उसमें समाविष्ट निर्देशों के अनुसार, एतद्द्वारा आगे सूचना दी जाती है कि पैसालो डिज़िटल लिमिटेड के समता अंशधारकों, प्रतिभूत लेनदारों की पृथक–पृथक बैठकें, अधोलिखित अनुसार दिए गए समय व स्थान पर होंगी, तथा समता अंशधारकों और प्रतिभूत लेनदारों से उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

क्रम सं.	बैठक की श्रेणी	बैठक की तिथि/दिनांक	समय (भारतीय मानक)	बैठक का स्थान
1.	अंषधारक	शनिवार, 1 दिसम्बर 2018	प्रातः 10:30 बजे	'इस्कॉन' प्रेक्षाग्रह भवन, कृष्णा हिल, सन्त नगर, मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110065
2.	प्रतिभूत लेनदार	शनिवार, 1 दिसम्बर 2018	अपराहन 12:00 बजे	

पैसालो डिज़िटल लिमिटेड के समता अंशधारकों/प्रतिभूत लेनदारों द्वारा लिखित अनुरोध पर, योजना की प्रति, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारायें 230, 232 एवं 102 साथ में पठित कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियमों, 2016 एवं प्रोक्सी फार्म हस्तांतरी कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में (शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक अवकाशों के अतिरिक्त) बिना किसी मूल्य के प्राप्त किये जा सकते हैं। वे व्यक्ति जो तत्सम्बन्धित बैठकों में उपस्थित होने तथा मतदान के हकदार हैं, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा अपना मत दे सकते हैं, बशर्ते निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सियों को उपर्युक्त बैठकों के लिए तय किये गये समय से अड़तालीस (48) घण्टे पहले तक पैसालो डिज़िटल लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय– 101, सीएससी, पॉकेट 52, सीआर पार्क, पुलिस स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110019 के पते पर जमा करा दिये गए हों।

प्रॉक्सी फार्म हस्तांतरी कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा श्री प्रभु सिंह, एडवोकेट, तथा उनकी अनुपस्थिति में श्री वैभव सिंह, एडवोकेट को उपर्युक्त बैठकों के स्थगन या स्थगनों के लिए अध्यक्ष/पीठाधीश नियुक्त किया है।

उपुर्यक्त बैठकों में स्वीकृत योजना, एनसीएलटी के आगामी अनुमोदन के अधीन रहेगी।

एतद्द्वरा हस्तांतरी कम्पनी पैसालो डिज़िटल लिमिटेड के समता अंशधारकों को यह भी सूचना दी जाती है जैसा कि सेबी परिपत्र सं. सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/2017/21 दिनांक 10, मार्च 2017 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा संदर्भित किया गया है कि:

1. हस्तांतरी कम्पनी द्वारा अंश धारकों को योजना के अनुमोदन की सहमति अथवा असहमति व्यक्त करने के लिए डाक मतपत्र एवं ई–मतदान की सुविधा प्रदान की गयी है। कम्पनी द्वारा बैठक स्थल पर सामान्य मतदान की भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। हस्तांतरी कम्पनी द्वारा ई–वोटिंग की सुविधा के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन एस डी एल) को नियुक्त किया है।
2. योजना का अनुपालन तभी किया जाएगा जब तक कि उस पर हस्तांतरित कम्पनी के अंशधारक व प्रतिभूत लेनदार, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारायें 230, 232 में वर्णित बहुमत से योजना पर अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं कर देते।
3. वे ही व्यक्ति डाक मतपत्र द्वारा या ई–वोटिंग द्वारा मतदान अथवा बैठक स्थल पर मतदान के अधिकारी होंगे, जिनके नाम (कट ऑफ दिनांक) 26 अक्टूबर, 2018 को समता अंशधारकों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित होंगे। मतदान हकदारों की गणना कट–ऑफ–तिथि को अंशधारकों/लाभकारी स्वामियों के नाम पर पंजीकृत अंशों की प्रदत्त संख्या के अनुसार की जाएगी। जो व्यक्ति कट–ऑफ–तिथि को पैसालो डिज़िटल लिमिटेड के समता अंशधारक नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी प्रयोजन हेतु ग्रहण करें।
4. डाक मतपत्र द्वारा मतदान एवं ई–वोटिंग द्वारा मतदान की सुविधा भारतीय मानक समयानुसार 1 नवम्बर, 2018 को प्रातः 9.00 बजे प्रारम्भ होगी और 30 नवम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे तक की अवधि के दौरान ही उपलब्ध रहेगी।
5. पूरी तरह भरा एवं हस्ताक्षरित डाक मतपत्र संवीक्षक के पास 30 नवम्बर, 2018 अधिकतम सायं 5:00 बजे तक पहुँचना अनिवार्य है। 30 नवम्बर, 2018 सायं 5:00 बजे के बाद प्राप्त होने वाले डाक मतपत्र मतगणना में शामिल नहीं किए जायेंगे और उन्हें 'अंश धारक का जवाब प्राप्त नहीं हुआ' की श्रेणी में रखा जायेगा तथा एन एस डी एल द्वारा प्रदत्त ई–वोटिंग की सुविधा भी 30 नवम्बर को सायं 5 बजे निष्प्रयोज्य कर दी जायेगी।
6. हस्तांतरी कम्पनी 30 अक्टूबर, 2018 तक उपर्युक्त बैठक की सूचना के साथ डाक मतपत्र, प्रॉक्सी फार्म एवं ई–वोटिंग प्रणाली में शामिल होने हेतु दिशा–निर्देशों को, एवं प्रत्युत्तर हेतु एक स्वयं का पता लिखा एवं उपयुक्त डाक टिकिट लगे लिफाफे सहित सभी अंशधारकों जो कि कट–ऑफ–तिथि 26 अक्टूबर, 2018 को अंशधारक थे (ये शेयर चाहे भौतिक रूप में हों या डीमेट खाते में इलैक्ट्रॉनिक रूप में) के पास भेजना सुनिश्चित कर चुकी है। अन्य अंशधारक इसे सूचनार्थ ग्रहण करेंगे।
7. वे समता अंशधारक जिन्हें डाक मतपत्र किसी कारण से प्राप्त नहीं हुआ है वे हस्तांतरी कम्पनी की वेबसाइट www.paisalo.in से डाउनलोड कर सकते हैं या हस्तांतरी कम्पनी के ऊपर वर्णित पंजीकृत कार्यालय से डाक मतपत्र की दूसरी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।
8. समता अंशधारक मतदान के लिए केवल एक ही प्रणाली यानि ई–वोटिंग या मतपत्र के माध्यम से बैठक स्थल पर मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई समता अंशधारक दोनों प्रणालियों से मतदान करते हैं तो ई–वोटिंग के द्वारा किया गया मतदान ही मान्य होगा और बैठक में किया गया मतदान मान्य नहीं होगा। इसके अलावा, समता अंशधारक जो ई–वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर चुके हैं वे बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें वहाँ मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।
9. इस बैठक की सूचना, डाक मतपत्र एवं ई–वोटिंग निर्देश आदि हस्तांतरी कम्पनी की वेबसाइट www.paisalo.in एवं एन एस डी एल की वेबसाइट www.https://evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
10. माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, (एन एस डी एल), प्रधान पीठ, द्वारा ई–वोटिंग प्रक्रिया/डाक मतपत्रों द्वारा व बैठक स्थल पर मतदान की संवीक्षा तथा इस पूरी प्रक्रिया की शुचिता एवं पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से संवीक्षक के रूप में श्री रुचिर कौशिक, चार्टर्ड एकाउण्टेंट, को नियुक्त किया है।
11. डाक मतपत्र द्वारा मतदान/ई–वोटिंग अथवा बैठक स्थल पर मतदान या अन्य सम्बन्धित विषय पर किसी शंका निवारण या जानकारी के लिए श्री मनेन्द्र सिंह, कम्पनी सेक्रेटरी हस्तांतरी कम्पनी, से '101, सीएससी, पॉकेट 52, सीआर पार्क, पुलिस स्टेशन के पास, नई दिल्ली–110019' के पते पर या cs@paisalo.in पर ई–मेल द्वारा सम्पर्क किया जा सकता है। श्री मनेन्द्र सिंह, कम्पनी सेक्रेटरी हस्तांतरी कम्पनी, से फोन नम्बर +91 11 43518888 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। ई–वोटिंग से सम्बन्धित विषय पर किसी शंका निवारण या जानकारी के लिए सदस्य एन एस डी एल के www.https://evoting.nsdl.com के रिमोट ई–वोटिंग यूज़र मैनुअल सेक्शन से 'फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वैश्चन्स' (एफ ए क्यूस) डाउनलोड करके भी प्राप्त कर सकते हैं या टॉल फ्री फोन नं 1800 222 990 पर कॉल करें।
12. हस्तांतरी कम्पनी के प्रतिभूत लेनदारों की बैठक में बैठक स्थल पर मतपत्र/मतदान पत्रों के द्वारा अपना मत प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है तथा माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, (एन एस डी एल) प्रधान पीठ द्वारा संवीक्षा के लिए भी श्री रुचिर कौशिक, चार्टर्ड एकाउण्टेंट, को नियुक्त किया गया है।

ह.–
प्रभु सिंह
बैठकों हेतु नियुक्त अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 अक्टूबर, 2018

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI
COMPANY PETITION NO. C.A. (CAA) NO. 172 (PB) /2018
IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232 AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013 READ WITH COMPANIES (COMPROMISES, ARRANGEMENTS AND AMALGAMATIONS) RULES, 2016

IN THE MATTER OF SCHEME OF ARRANGEMENT/ AMALGAMATION

BETWEEN

AGARWAL MEADOWS PRIVATE LIMITED
("APPLICANT COMPANY NO. 1 /TRANSFEROR COMPANY")

AND

PAISALO DIGITAL LIMITED
("APPLICANT COMPANY NO. 2/ TRANSFEREE COMPANY")

AND

THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

PAISALO DIGITAL LIMITED
(Formerly known as S. E. Investments Limited)
CIN: L65921DL1992PLC120483
a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at 101 CSC, Pocket 52, CR Park, Near Police Station, New Delhi-110019

APPLICANT COMPANY NO. 2/ TRANSFEREE COMPANY

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF EQUITY SHAREHOLDERS AND SECURED CREDITORS

Notice is hereby given that by the order dated October 12, 2018, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, at New Delhi ("NCLT") has directed separate meetings of the equity shareholders and secured creditors of the Transferee Company to be held for the purpose of considering and if thought fit, approving (with or without modifications), the arrangement embodied in the Scheme of Arrangement/Amalgamation between Agarwal Meadows Private Limited and Paisalo Digital Limited and their respective shareholders and creditors ("Scheme").

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that separate meetings of the equity shareholders and secured creditors of the Transferee Company will be held as under and at which time and place the said equity shareholders and secured creditors are requested to attend,

Sr. No.	Class of Meetings	Date of Meetings	Time (IST)	Place of Meeting
1.	Equity Shareholders	Saturday, December 1, 2018	10:30 A.M.	Auditorium ISKCON Complex, Hare Krishna Hill, Sant Nagar, Main Road, East of Kailash, New Delhi – 110065
2.	Secured Creditors		12:00 P.M.	

Copy of the Scheme, Explanatory Statement under Sections 230, 232 and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy, can be obtained free of charge within one (1) day (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the shareholders/secured creditors of the Transferee Company at the registered office of the Transferee Company. Persons entitled to attend and vote at the respective meetings may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Transferee Company at 101 CSC, Pocket 52, CR Park, Near Police Station, New Delhi-110019 not later than forty eight (48) hours before the scheduled time of the commencement of the aforesaid meetings.

Forms of proxy can be obtained from the registered office of the Transferee Company.
The Hon'ble National Company Law Tribunal, Principal Bench, has appointed Mr. Prabhu Singh, Advocate, and in his absence Mr. Vaibhav Singh, Advocate, as the Chairperson of the aforesaid meetings including any adjournment or adjournments thereof.

The Scheme, if approved in the aforesaid meetings, will be subject to subsequent approval of the NCLT.

Further **Notice** is hereby given to the equity shareholders of the Transferee Company as referred to in Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") that:

1. the Transferee Company has provided the facility of voting by postal ballot and e-voting so as to enable the equity shareholders, to consider and approve the Scheme, the Transferee Company has also provided the facility of ballot/poling paper at the venue of the meeting, the Transferee Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating e-voting services;
2. in accordance with the provisions of Section 230-232 of the Companies Act, 2013, the Scheme shall be acted upon only if a majority of persons representing three forth in value of the equity shareholders of the Transferee Company, voting in person or by proxy or by postal ballot or e-voting, agree to the Scheme. Further, in accordance with the SEBI Circular, the Scheme shall be acted upon only if the number of votes cast by the Public Shareholders in favour of the resolution for approval of the Scheme is more than the number of votes cast by the Public Shareholders against it;
3. the cut-off date for determining the eligibility of the equity shareholders for voting through postal ballot, or if e-voting or voting at the venue of the meeting is October 26, 2018. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled for voting. Persons who are not equity shareholders of the Transferee Company as on the cut-off date-should treat this Notice for information purpose only;
4. voting through postal ballot and e-voting by the equity shareholders will commence on November 1, 2018 at 9.00 A.M. and shall end on November 30, 2018 at 5:00 P.M.;
5. duly completed and signed postal ballot form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 P.M. on November 30, 2018. Any postal ballot form received after 5:00 P.M. on November 30, 2018, shall not be considered and shall be treated as if the reply from the equity shareholder has not been received. Further, e-voting module shall be disabled by NSDL for voting on November 30, 2018 at 5:00 P.M.;
6. the Transferee Company on October 30, 2018, completed the dispatch of Notice along with the postal ballot form with instructions and a self addressed postage prepaid Business Reply Envelope amongst others, to the equity shareholders holding shares in either physical form or in the dematerialized form, as on the cut-off date i.e. October 26, 2018, As such, the Notice sent to the equity shareholders would also be deemed to be the Notice sent to the Public Shareholders of the Transferee Company;
7. equity shareholders who have not received the postal ballot form can either download the same from the website of the Transferee Company www.paisalo.in or obtain duplicate postal ballot form the registered office of the Transferee Company as stated above;
8. during the voting period, the equity shareholders can opt for only one mode for voting i.e, either by postal ballot or - e-voting. In case any equity shareholder cast the vote both via postal ballot and e-voting, then voting validly done through e-voting shall prevail. Equity shareholders who have cast their votes through postal ballot or e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again;
9. the Notice including the postal ballot and e-voting instructions are available on the Transferee Company's website at www.paisalo.in and on the website of NSDL at www.https://evoting.nsdl.com;
10. Mr. Ruchir Kaushik, Chartered Accountant, has been appointed as the Scrutinizer to conduct the postal ballot and e-voting-process and the voting at the venue of the meeting in a fair and transparent manner;
11. in case of any queries/grievances in relation to the voting by postal ballot or e-voting may be addressed to Mr. Manendra Singh, Company Secretary of the Transferee Company at "101 CSC, Pocket 52, CR Park, Near Police Station, New Delhi-110019 or through email to cs@paisalo.in. He can also be contacted at +91 11 43518888. In case of any queries/grievances related to e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.
12. In case of meeting of the Secured Creditors of the Transferee Company, the voting shall be carried out through the ballot/polling paper at the venue of the meeting: Mr. Ruchir Kaushik, Chartered Accountant, has also been appointed as the Scrutinizer for the said meeting.

Sd/-
Prabhu Singh
Chairman appointed for the meeting

Place : New Delhi
Date : October 30, 2018